न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 868/2020/(2020/00868) जिला–नागौर

1. नारायणराम पुत्र चिमनाराम
2. रामूराम पुत्र चिमनाराम

समस्त जाति जाट निवासी शेखावतपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. खीवाराम पुत्र भैराराम
2. दुलाराम पुत्र भैराराम
3. रामादेवी पत्नि भैराराम
4. हनुमान पुत्र मेवाराम

समस्त जाति जाट निवासी शेखावतपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नांवा जिला नागौर।
6. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मीण्डा तहसील नावां जिला नागौर

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नावां दिनांक 28–08–2019
अन्तर्गत प्रकरण राजस्व प्रार्थना पत्र क्रमांक/राजस्व/53/2019
बउनवान खींवाराम बनाम राज.सरकार व अन्य

———

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 25–10–2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नावां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि ग्राम देवला हाल शेखावतपुरा तहसील नावां जिला नागौर के साबिक खसरा नं0 29 रकबा 50–03–00 बीघा के नवीन खसरा नं0 104 रकबा 0.06 है., खसरा नं0 105 रकबा 6.50 है. खसरा नं0 106 रकबा 1.56 है. कुल 3 किता कुल रकबा 8.12 है. साबिक खसरा नं0 43 रकबा 44–09–00 बीघा व 43/1 रकबा 00–04–00 बीघा जिसके नवीन खसरा नं0 243 रकबा 1.72 है., खसरा नं0 244 रकबा 0.16 है. खसरा नं0 245 रकबा 0.02 है. खसरा नं0 246

Scanned with CamScanner

रकबा 1.81 है., खसरा नं0 247 रकबा 0.63 है. खसरा नं0 248 रकबा 0.63 है. खसरा नं0 277 रकबा 0.50 है., खसरा नं0 275 रकबा 0.41 है. खसरा नं0 274 रकबा 0.02 है. खसरा नं0 269 रकबा 1.48 है. कुल किता 10 कुल रकबा 7.38 है। साबिक खसरा नं0 44 रकबा 02–05–00 बीघा व 99 रकबा 18–18–00 बीघा के नवीन खसरा नं0 269 रकबा 0.50 है., खसरा नं0 317 रकबा 0.45 है. खसरा नं0 318 रकबा 0.01 है. खसरा नं0 319 रकबा 1.74 है., खसरा नं0 280 रकबा 0.10 है. खसरा नं0 324/217 रकबा 0.01 है. कुल किता 06 कुल रकबा 2.81 है. की आराजीयात अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की खातेदारी में अंकित है जो उनको उनके पूर्वज स्व. अमरा जी से प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात सम्वत् 2011 से 2031 तक रूघा वल्द अमरा 1/2 व भूरा वल्द अमरा 1/2 हिस्से में दर्ज रही है। रूघा वल्द अमरा के फौत हो जाने पर उनके वारिस प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के पिता एवं प्रत्यर्थी सं0 3 के पति भैराराम पुत्र रूघा सम्वत् 2019–2045 की जमाबन्दी तक लगातार अपने हिस्से की 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार चले आ रहे है। भैराराम पुत्र अमरा के शेष 1/2 हिस्से के खातेदार मेवाराम व चिमनाराम हुये जिसमे से मेवाराम के फौत होने पर उनका वारिस प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमान व चिमनाराम जी के फौत होने से उनके हिस्से की आराजीयात के वारिसान वर्तमान अपीलार्थीगण हुये। विवादित आराजीयात में प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 का 1/2 हिस्सा, प्रत्यर्थी सं0 4 का 1/4 हिस्सा, प्रत्यर्थी सं0 5 व 6 का 1/4 हिस्सा है लेकिन पैमाईश के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के हिस्से को कम कर 1/3 दर्ज कर दिया जो कि 2046 से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है। अन्त में प्रत्यर्थी सं0 1 ने भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान की गई गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अप्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण) को नोटिस जारी किये जिस पर प्रकरण में मुर्तिब अप्रार्थीगण में सं0 2 लगायत 4 ने उपस्थित होकर इकबालिया जबाब पेश किया। अपीलार्थीगण (अपील में प्रत्यर्थीगण) की समुचित तलबी हुये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.08.2019 से रेकार्ड दुरूस्ती के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम अपीलार्थीगण अभिभाषक ने मयाद बिन्दु के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस में निवेदन करते हुये कथन किया कि अपीलार्थीगण को समुचित तामीली नहीं करवाई गई एवं दिनांक 13.06.2020 को प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को भूमि नाम करने के बात कही तब दिनांक 15.06.2020 को उपखण्ड न्यायालय में जाने पर दिनांक 28.08.2019 के आदेश की जानकारी हुई तत्पश्चात् राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अपील तैयार करवाई जाकर अविलम्ब प्रस्तुत की जिसके साथ अपीलार्थीगण द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ उपखण्ड न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया

Scanned with CamScanner

विधि विरूद्ध आदेश है जो विधिक दृष्टिकोण मे शून्य आदेश (एबिनिशियो वोइड) है जिसको चुनौती देने की कोई मयाद नहीं है फिर भी कोई विधि त्रुटि न हो इस कारण धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय केवल यह देखेगा कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद है या नही। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनन मयाद बाहर बेबुनियाद होने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण संतोषप्रद नहीं होने से मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक की बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की समुचित तलबी हुये बिना ही आदेश दिनांक 28.08.2019 पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थीगण का नोटिस भी प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमानराम ने ही ले लिया जिस पर उसने स्वयं ने अपीलार्थीगण के ताउ का लडका होना अंकित किया है। इससे इस नोटिस की तामिली स्वयं के स्तर से नही होने पर प्रकरण की जानकारी भी अपीलार्थीगण को नहीं हो पाई। इस कारण पारित अपीलाधीन आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आदेश 5 नियम 9, 11 व 12 के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के बहैसियत काबिज काश्तकार चले आ रहे है किन्तु प्रत्यर्थी सं0 1 ने अपीलार्थीगण को नोटिस तामीली समुचित नहीं करवाकर सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया तथा बिना सुनवाई करे ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना किये बिना पारित किया गया है अतः काबिल निरस्त योग्य है।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील बहस में यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमान पुत्र मेवाराम ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नं0 29 रकबा 50–03–00 बीघा में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि का विक्रय दिनांक 06.09.1982 को ही कर दिया जिसका पंजीयन दिनांक 18.09.1982 को हुआ। विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 107 दर्ज किया गया जिसमे अपीलार्थीगण का विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा होना दर्शाया गया है। उक्त नामान्तरकरण के पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के पिता व पति का देहान्त के बाद उनका विरासती नामान्तरकण दर्ज किया गया जिसमे प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 का 1/3 हिस्सा होना स्पष्ट है। विवादित आराजीयात सम्वत् 2038 में प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के पिता के समय भी हिस्सा 1/3 दर्ज था जिसका इनके पूर्वजो तथा उनके बाद इन्होने स्वयं ने कभी कोई विरोध नहीं किया। इसके उपरान्त भी इनके द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमान द्वारा दिनांक 06.09.1982 को रजिस्टर्ड बेचान से अपने 1/3 हिस्से की भूमि को अपीलार्थीगण के नाम किया जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई। इसके लगभग 38 वर्ष पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के साथ दुरभि संधि कर अधिनस्थ न्यायालय के समय गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध आदेश पारित करवाये गये जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील में यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य पूर्व मे भी एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नावां के समक्ष रामूराम व हनुमानराम द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 अनुसार भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 अनुसार अपीलार्थीगण के हिस्सें में करीब 59–15–07 (9.53 है.) भूमि दर्ज की गई जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2048–2051 अनुसार खसरा नं0 29 व 43 के नये नम्बर में अपीलार्थीकण के नाम 8.60 है. भूमि दर्ज है एवं खसरा नं0 43/1, 44 99 के नये नम्बर कायम किये गये उनमे 2.81 हैक्टेयर में अपीलार्थीगण का 1/3 हिस्सा (0.93 है.) दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2076 तक विवादित आराजीयात अपीलार्थीगण के खाते में 9.53 हैक्टेयर दर्ज चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रार्थना पत्र में अपने निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 9.53 है. भूमि को कम कर 4.57 है. कर दिया। इस प्रकार लगभग 5 है. भूमि कम करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण की खातेदारी आराजी कम करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थीगण अपनी पूर्ण आराजी की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में है। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त करने का अधिकार है या आपसी सहमति से दुरूस्ती की कार्यवाही करने का अधिकार है। धारा 136 के प्रार्थना पत्र में किसी भी खातेदारी की भूमि को कम या ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस को जारी करते हुये यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानो के अनुकूल नहीं है। विवादित आराजीयात भी न्यायालय सहायक कलक्टर नावां के निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 के आधार पर दर्ज की गई है जो कि पैमाईश या भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान की गई गलती की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायिक आदेश से दर्ज इन्द्राज को धारा 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के अन्तर्गत दुरूस्त करने की कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध है। प्रत्यथी सं0 1 से 3 द्वारा आज दिनांक तक निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। निर्णय डिक्री के आधार पर दर्ज खातेदारी को 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के तहत निरस्त किये जाने का आदेश देना पूर्णतया गैर कानूनी होकर निरस्तनीय है। विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है जिससे बिना कब्जे के धारा 136 रा. भू का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर प्रत्यर्थीगण को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर निर्णय में अंकित कर आदेश दिनांक 28.08.2019 पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां का निर्णय दिनांक 28–08–2019 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां का निर्णय दिनांक 28–08–2019 विधिसम्मत है। जमाबन्दी सम्वत् 2019 ये 2030 में ग्राम देवला के खसरा नं0 43, 43/1, 29, 44, 99 कुल रकबा 115–19–00 भूराराम पुत्र अमरा जाट सा. देह खातेदार व भेरू पुत्र रूघा जाट सा. देह खातेदार बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकर दर्ज रेकार्ड है। सम्वत् 2031–34 में खातेदार भूराराम के फौत होने पर रामूराम, नारायणराम पि. चमना, मेवाराम पुत्र भूराराम व भैरूराम पुत्र रूघाराम जाअ सा.देह खातेदार दर्ज है। सजरे अनुसार चिमनाराम भूराराम का ही पुत्र था। चिमनाराम का भूराराम के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो गया था। भूराराम का विरासत नामान्तरण 47 दिनांक 10.06.1973 दर्ज किया गया जिसमे खातेदार बजाय भूराराम के मेवा पुत्र भूराराम एवं रामू व नारायण पौत्र है जो भूराराम के पुत्र चिमना के पुत्रगण के नाम होने की अनुमति दी जाती है, बाकी बदस्तूर रहेगी। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् सम्वत् 2041 की जमाबन्दी में इसी प्रकार दर्ज है। इसी दौरान ग्राम देवला से ग्राम शेखावतपुरा नया राजस्व ग्राम सृजित हुआ तथा विवादितभूमि शेखावतपुरा में आ गई। इसी दौरान तहसील नावां का भूप्रबन्ध कार्य भी हुआ जिसमे खसरा मिलान क्षेत्रफल के गत खसरा नम्बर 43 रकबा 44–09–00 व गत खसरा नं0 43/1 रकबा 00–04–00 बीघा के नवीन खसरा नं0 243, 244, 245, 246, 247, 248, 269, 274, 275, 277 कुल रकबा 7.38 हैक्टेयर व गत खसरा नम्बर 44 रकबा 02–05–00 बीघा व ासरा नम्बर 99 रकबा 18–18–00 बीघा के नवीन खसरा नं0 279, 280, 317 318 319 324/217 कुल 06 किता रकबा 2.81

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर कायम हुये। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जो जमाबन्दी तैयार की गई उसमे रामुराम, नारायणराम पिता चिमनाराम का 1/3 हिस्सा, हनुमान पुत्र मेवाराम का 1/3 हिस्सा, रामा बेवा भैरूराम खीवाराम दुलाराम पिता भैरूराम का 1/3 हिस्सा कौम जाट सा देह खातेदार दर्ज कर दिया जबकि सजरा खानदान अनुसार अमराराम के दो पुत्र भूराराम व रूघाराम थे तथा जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 विवादित भूमि के राजस्व रेकार्ड में भूराराम पुत्र अमराराम व रूघाराम पुत्र अमराराम 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। तत्पश्चात् भूरा फौत होने पर उसके स्थान भूराराम के पुत्र चिमनाराम व चिमनाराम के पुत्र रामूराम व नारायणराम व मेवाराम पुत्र भूराराम के खातेदारी में दर्ज हुई तथा रूघाराम के स्थान पर भैरूराम पुत्र रूघाराम के नाम से दर्ज हुई जो सम्वत् 2041 तक यथावत दर्ज रेकार्ड रहा। भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान मेवाराम पुत्र भूराराम व भैरूराम पुत्र रूघाराम फौत हो गये जिनके स्थान पर हनुमान पुत्र मेवाराम व भैरूराम पुत्र रूघाराम के वारिसान रामादेवी बेवा भैरूराम खीवाराम दुलाराम पिता भैरूराम के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ। भूप्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि में रामूराम, नारायणराम पिता चिमनाराम का 1/3 हिस्सा, हनुमान पुत्र मेवाराम का 1/3 हिस्सा, रामी देवी बेवा भैरूराम खीवाराम दुलाराम पिता भैरूराम का 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि पूर्व रेकार्ड में 1/2 हिस्से के खातेदार भूराराम पुत्र अमराराम के वारिसान चिमनाराम व मेवाराम थे। चिमनाराम का स्वर्गवास भूराराम से पूर्व हो जाने से भूराराम के स्थान उसके पौत्र रामुराम, नारायणराम व पुत्र मेवाराम की खातेदारी 1/2 हिस्से में दर्ज की गई जो सम्वत् 2031 से 2037 की जमाबन्दी व नामान्तरकरण सं0 47 से स्पष्ट ही है, शेष 1/2 हिस्सा भैरूराम पुत्र रूघाराम की खातेदारी में दर्ज रहा है। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी के हिस्से गलत अंकित कर दिये थे। भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अधिकार धारा 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी अनुरूप रेकार्ड त्रुटि को दुरूस्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण का नोटिस भी प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमानराम ने ही ले लिया जिस पर उसने स्वयं ने अपीलार्थीगण के ताऊ का लडका होना अंकित किया है। इससे इस नोटिस की तामिली स्वयं के स्तर से नही होने पर प्रकरण की जानकारी भी अपीलार्थीगण को नहीं हो पाई। इस कारण पारित अपीलाधीन आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों आदेश 5 नियम 9, 11 व 12 के विपरीत है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के बहैसियत काबिज काश्तकार चले आ रहे है। अपीलार्थीगण को नोटिस तामीली समुचित नहीं करवाकर सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया जबकि बिना सुनवाई करे ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक सिद्धान्तो के भी विपरीत है।

Scanned with CamScanner

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमान पुत्र मेवाराम ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नं0 29 रकबा 50–03–00 बीघा में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि का विक्रय दिनांक 06.09.1982 को ही कर दिया जिसका पंजीयन दिनांक 18.09.1982 को हुआ। विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण के पक्ष मे नामान्तरकरण सं0 107 दर्ज किया गया जिसमे अपीलार्थीगण का विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा होना दर्शाया गया है। प्रत्यर्थी सं0 4 हनुमान द्वारा दिनांक 06.09.1982 को रजिस्टर्ड बेचान से अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है जो अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई, के तथ्य एवं न्यायालय सहायक कलक्टर नावां के निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 की जानकारी भी नहीं लाई गई। न्यायालय सहायक कलक्टर नावां के निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 के आधार पर दर्ज की गई है जो कि पैमाईश या भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान की गई गलती की श्रेणी में नहीं आती है। न्यायिक आदेश से दर्ज इन्द्राज को धारा 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के अन्तर्गत दुरूस्त करने की कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध है। प्रत्यथी सं0 1 से 3 द्वारा आज दिनांक तक निर्णय डिक्री दिनांक 13.01.1987 को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। निर्णय डिक्री के आधार पर दर्ज खातेदारी को 136 रा. भू राजस्व अधि. 1956 के तहत निरस्त किये जाने का आदेश विधि प्रतिकूल है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 136 के प्रार्थना पत्र में किसी भी खातेदारी की भूमि को कम या ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण की भूमि को कम करने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी अपने उक्त आदेश द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संबंधी अंकन को परिवर्तित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि को कम करने के आदेश पारित कर दिये जो कतई विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) नावां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 53/2019 बउनवान खीवाराम बनाम राज. सरकार व अन्य विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner